दावा-67/20 मंजुला देवी बनाम मनभरी देवी

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि[illegible]
कैलाश चौधरी 30/9/20	30/9/20	पत्रावली प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC बाबत न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी संख्या 3227/2020 को पत्रावली में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही बाबत पेश करने बाद आज तारीख को नियत पेशी से पूर्व तलब कर प्रार्थना को शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी पेशी तारीख/पूर्व नियत तारीख 8/10/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
	8/10/20	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। वकील प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज सूची के साथ पेश कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 28/9/20 के विरुद्ध अप्रार्थी/वादी द्वारा रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना-पत्र को मय दस्तावेज व मय पत्रावली अवलोकन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में कार्यवाही स्थगन के कोई आदेश नहीं है। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा [illegible] अयोग्य होने से खारिज [illegible] वकील प्रतिवादी संख्या [illegible] को आदेश [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र [illegible] वास्ते न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की निगरानी सं0 3227/2020	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ku
Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:03 IS
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मंजुला देवी बनाम मनफूली देवी

मुकदमा संख्या/वर्ष दावा - 67/20 / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		को पत्रावली में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही बाबत का मय दस्तावेज अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत निगरानी सं०- 3227/2020 माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10/8/2020 को निरस्त कर विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानी का प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 09/08/2019 को स्वीकार कर वादी/अप्रार्थी सं०-1 द्वारा प्रस्तुत दावा सं०- 67/2020 उनवानी मंजुला देवी बनाम मनफूली देवी को खारिज किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 28/9/2020 की अनुपालना में न्यायालय में विचाराधीन वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 8/10/2020 को लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।	

08/10/2020
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:09:03 IST
Reason: SelfAttested